समयबद्ध

संख्या- 6/2021/622/का-1-2021/13(2)/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2021**

विषयः-समूह 'क' एवं समूह 'ख ' के अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिष्ठान के समस्त कार्मिकों के विरुद्ध सम्प्रति प्रचलित विभागीय कार्यवाहियों का निस्तारण सामान्यतः छः माह के अन्दर करा लिया जाय ।

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नवत् प्रारूप पर दिनांक- 30.07.2021 तक प्रचलित उक्त विभागीय कार्यवाहियों का संख्यावार संकलित विवरण एवं तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित विभागीय कार्यवाहियों की सूची अपने हस्ताक्षर से (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनाये अनुश्रवण हेतु संज्ञान में नहीं ली जा सकेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 31-08-2021** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रारूप

दिनांक 31-07-2021 तक प्रचलित विभागीय कार्यवाहियों का विवरण **विभाग का नाम**				
क्रमांक	**अवधि**	**संख्या**		**योग**
		समूह 'क'	समूह 'ख'	
1	एक वर्ष से लंबित			
2	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से लंबित			
3	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से लंबित			
4	तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित			
			कुल योग	

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in